मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 14-क्यू/99/1-10

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर, 1999

प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल.

विषय :—आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक हैसियत के जीवन स्तर वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाही.

भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए शासन द्वारा अनेक उपाय किये जा रहे हैं. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की , शिकायत प्राप्त होने पर शासन द्वारा या तो वरिष्ठ अधिकारियों अथवा लोकायुक्त संगठन/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/मुख्य तकनीकी परीक्षक से जांच करायी जाती है. जांच में प्रथमदृष्टया आरोप सिद्ध होने पर अभियोजन की कार्यवाही की जाती है या विभागीय कार्यवाही की जाती है.

2. इस परिप्रेक्ष्य में यहां यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में शासकीय सेवकों द्वारा चल/अचल सम्पत्ति अर्जित करने पर शासन को यथा समय सूचित करने अथवा शासन की अनुमति प्राप्त करने के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गये हैं. सामान्य प्रसासन विभाग द्वारा भी उक्त नियमों के नियम 19(1) में उल्लेखित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर निर्देश जारी कर यह अपेक्षा की गयी है कि शासकीय सेवकों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत अवश्य किये जायें. जांच के दौरान यदि यह पाया जाय कि कोई अधिकारी ज्ञात स्त्रोतों से अधिक जीवन स्तर रखता है तो उसकी जांच करने में चल/अचल सम्पत्ति का विवरण सहायक हो सकता है. अत: यह आवश्यक है कि शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति के विवरण समय से प्राप्त किये जायें और उनके द्वारा क्रय की गई अचल सम्पत्ति की सूचनाये भी संकलित की जाय. जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हों उनकी अचल सम्पत्ति के विवरण तथा अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय की सूचनाओं का बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि उनकी सम्पत्ति तथा उनके द्वारा किये जा रहे व्यय उनकी आय के स्त्रोतों से अधिक तो नहीं है. यदि यह पाया जाय कि उनके व्यय या सम्पत्ति उनकी आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक है तो उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए. यदि विभागीय स्तर पर पूरी जांच संभव न हो तो लोकायुक्त संगठन अथवा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/मुख्य तकनीकी परीक्षक से जांच का अनुरोध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए. उनके द्वारा जांच प्रारंभ करने पर उन्हें अचल सम्पत्ति का विवरण तथा चल सम्पत्ति के क्रय की सूचनायें इत्यादि उपलब्ध करा दी जानी चाहिए जिससे कि वे सुविधापूर्वक जांच कर सकें. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि भ्रष्टाचार के आरोप प्रथमदृष्टया सिद्ध पाये जाय तो ऐसे अपचारी अधिकारी के विरुद्ध जांच एजेंसी की अनुशंसा के अनुसार अभियोजन या विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए.

हस्ता./-

(ए. व्ही. ग्वालियरकर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.